न्यायलय सिविल जज(जू०डि०)सदर,फैजाबाद।

उपस्थितः- अभिनव तिवारी (उ० प्र० न्यायिक सेवा)

मूलवाद संख्या-१०६७/२०१४

दिनांक-०५.१०.२०१९
रजिस्टेशन नं०-००००४२०३/२०१४

चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी आयु लगभग ५६ साल पुत्र श्री रमाकान्त त्रिपाठी निवासी मकान नं०-२/३/४८ आर्यकन्या रोड, कन्धारी बाजार, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जिला-फैजाबाद।

----------वादी।

बनाम

संजय तिवारी आयु लगभग ४५ साल पुत्र स्व० श्री रघुपति तिवारी निवासी-एच.आई.जी./०६ साकेतपुरी कालोनी, रानोपाली, परगना-हवेली अवध, तहसील व जिला-फैजाबाद।

----------प्रतिवादी।

एक पक्षीय निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु संस्थित किया गया है।

संक्षेप में वादी का कथन है कि प्रतिवादी तथा उसके परिवार वालों का वादी तथा वादी के परिवार वालों से अत्यन्त घनिष्ठ संबंध था और संबंध इतना प्रगाढ़ हो गया था कि प्रतिवादी काफी दिनों तक वादी के घर में वादी के साथ रहा और शनैः शनैः वादी प्रतिवादी पर विश्वास करने लगा। भूमि संख्या-१५६८क रकबा ७ बीघा ९ विस्वा ५ धुर में से लिखित खातेदारियां श्रीमती शिवपती पत्नी श्री राम मनोरथ ने ०.६८३हे० का बैनामा दिनांक-०२.१२.२००८ को वादी के पक्ष में समुचित प्रतिफल लेकर निष्पादित कर दिया और तारीख बैनामा से उक्त विक्रीत सम्पत्ति पर कब्जा व दखल वादी को दिया तब से वादी अपनी बैनामाशुदा आराजी काबिज व दखील चला आ रहा है और सरकारी अभिलेखों में जरिए दाखिल खारिज वादी का नाम इन्द्राज हो गया है। तद्उपरान्त दिनांक-३०.०३.२०१० को श्रीमती शिवपती पत्नी श्री राम मनोरथ ने अपनी शेष भूमि सं०-१५६८क में से ही रकबा

०.६३५१हे० का बैनामा वादी के पक्ष में निष्पादित कर दिया और जरिए दाखिल खारिज उक्त आराजी पर वादी का नाम इन्द्राज हो गया। भूमि सं०-१५६८क में उक्त दोनों बैनामाशुदा आराजी इस वाद की विषय वस्तु हैं। विवादित भूमि पर वादी का कब्जा व दखल लगातार चलता आ रहा है। विवादित सम्पत्ति १५६८क पर प्रतिवादी का कोई हक अथवा कब्जा न कभी था और न है। अतः जरिए स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी को निषेधित कर दिया जाये कि वह विवादित सम्पत्ति १५६८क रकबा ०.६८३हे० तथा रकबा ०.६३५१हे० जिसका विवरण मय चौहद्दी वाद पत्र के अन्त में दिया गया है, पर वादी के शान्तिपूर्ण कब्जा व दखल में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करें।

प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त संबंध में कोई जबाव दावा/वादोत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में सूची १०ग के माध्यम से खतौनी कागज संख्या-११ग/१, खसरा कागज संख्या-११ग/३ एवं २१ग के माध्यम से षटवार्षिक खतौनी कागज संख्या-२१ग/२, प्रतिलिपि बैनामा दिनांकित-०२.१२.२००८ कागज संख्या-२१ग/३ लगायत १५, प्रतिलिपि बैनामा दिनांकित-३०.०३.२०१० कागज संख्या-२१ग/१७ ता ४२ तथा सूची २८ग के माध्यम से षटवार्षिक खतौनी कागज संख्या-२८ग/२, खसरा कागज संख्या-२८ग/३, छायाप्रति राजस्व नक्शा कागज संख्या-२८ग/४ तथा कागज संख्या-२९ग/२ कार्यालय सहायक अभिलेख अधिकारी अयोध्या की आख्या, छायाप्रति पत्र उपजिलामजिस्ट्रेट, सदर अयोध्या कागज संख्या-२९ग/३, छायाप्रति पत्र संख्या-११५४/टंकक/२०१९ कागज संख्या-२९ग/४, छायाप्रति प्रा. पत्र दिनांकित-१७.०८.२०१९ समक्ष जिलाधिकारी अयोध्या पत्रावली पर दाखिल किया गया है। तथा वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में सूची गवाहान १६ग के माध्यम से स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या-१७क तथा साक्षी जितेन्द्र पाण्डेय का साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या-१८क पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये है।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई मौखिक अथवा अभिलेखीय साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया। वादी के अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के खंडन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई अभिलेखीय अथवा मौखिक साक्ष्य भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है,यहाँ तक कि वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहान से प्रतिवादीगण द्वारा जिरह भी नहीं की गई है।

न्यायालय द्वारा दिनांक-०५.१०.२०१५ को प्रतिवादी पर तामीला पर्याप्त माना गया। तद्उपरान्त न्यायालय द्वारा दिनांक-०५.११.२०१५ व दिनांक-२५.०१.२०१६ को जबाव दावा दाखिल करने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया गया किन्तु प्रतिवादी द्वारा कोई जबाव दावा/वादोत्तर पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया तथा न्यायालय द्वारा दिनांक-०२.०२.२०१६ को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद की कार्यवाही एक पक्षीय रूप से अग्रसारित की गई है। अतः यह स्पष्ट है कि इस वाद में वादी का केस एवं वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन प्रस्तुत साक्ष्य अखंडित है।

न्यायालय द्वारा कमीशन रिपोर्ट कागज संख्या-२२ग मय मानचित्र दिनांक-०१.१०.२०१९ को वादी की आपत्ति और विपक्षी की अनुपस्थिति में साक्ष्यधीन पुष्ट की जा चुकी है।

वादी द्वारा वाद पत्र में कथन किया गया है कि है कि वादी द्वारा भूमि संख्या-१५६८क रकबा ७ बीघा ९ विस्वा ५ धुर में से रकबा ०.६८३हे० का उसके लिखित खातेदार श्रीमती शिवपती पत्नी श्री राम मनोरथ से जरिए बैनामा दिनांक-०२.१२.२००८ समुचित प्रतिफल अदा कर प्राप्त किया है। तद्उपरान्त वादी गाटा संख्या-१५६८क में से रकबा ०.६३५१हे० जरिए बैनामा दिनांकित-३०.०३.२०१० समुचित प्रतिफल अदा कर श्रीमती शिवपती पत्नी श्री राम मनोरथ से क्रय किया गया है। इस प्रकार विवादित समपत्ति जो कि इस वाद में विवादित है वह वादी द्वारा जरिए बैनामा समुचित प्रतिफल अदा कर क्रय की गई है और बैनामा की तिथि के वादी का उक्त सम्पत्ति पर कब्जा व दखल चला आ रहा है। वादी द्वारा अपने अभिथनों के समर्थन में सूची २१ग के माध्यम से षटवार्षिक खतौनी कागज संख्या-२१ग/२, प्रतिलिपि बैनामा दिनांकित-०२.१२.२००८ कागज संख्या-२१ग/३ लगायत १५, प्रतिलिपि बैनामा दिनांकित-३०.०३.२०१० कागज संख्या-

२१ग/१७ ता ४२ तथा सूची २८ग के माध्यम से षटवार्षिक खतौनी कागज संख्या-२८ग/२ पत्रावली पर दाखिल किया गया है,जिनके अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक-०२.१२.२००८ को गाटा संख्या-१५६८क में से रकबा ०.६८३हे० का बैनामा विक्रेता श्रीमती शिवपती द्वारा समुचित प्रतिफल लेकर वादी चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी के पक्ष में किया गया है तत्पश्चात दिनांक-३०.०३.२०१० को गाटा संख्या-१५६८क रकबा सात बीघा नौ बिस्वा पाँच धुर में से रकबा ०.६३५१हे० का बैनामा विक्रेता श्रीमती शिवपती द्वारा समुचित प्रतिफल लेकर वादी चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी के पक्ष में किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वाद पत्र में अभिकथित विवादित सम्पत्ति वादी द्वारा जरिए बैनामा विक्रेता श्रीमती शिवपती से क्रय की गई है तथा षटवार्षिक खतौनी में बैनामा के आधार पर गाटा संख्या-१५६८क के रकबा ०.६८३हे० तथा रकबा-०.६३५१हे० पर श्रीमती शिवपती पत्नी श्री राम मनोरथ का नाम निरस्त करके उसके स्थान पर क्रेता चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी पुत्र श्री रमाकान्त त्रिपाठी निवासी निकट आर्य कन्या स्कूल कन्धारी बाजार, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जिला-फैजाबाद का नाम बतौर बैनामेदार संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है।

वादी द्वारा अपने अभिकथनों के समर्थन में कार्यालय उपजिलाधिकारी मजिस्ट्रेट सदर, जनपद-अयोध्या की का पत्र दिनांकित-१२ सितम्बर २०१९ कागज संख्या-२९ग/३ पत्रावली पर दाखिल किया गया है जिसमें उप जिला मजिस्ट्रेट सदर अयोध्या द्वारा गाटा संख्या-१५६८क में संजय तिवारी द्वारा अवैध रूप से किये जा रहे निर्माण कार्य को तत्काल रूकवा दिया गया है।

वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में सूची गवाहान १६ग के माध्यम से स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या-१७क तथा साक्षी जितेन्द्र पाण्डेय का साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या-१८क पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये है। जिनमें उक्त साक्षीगण द्वारा वाद पत्र में अभिकथित अभिकथनों का समर्थन किया गया है।

वादी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य के खण्डन में पत्रावली पर प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा अपने

अभिकथनों के समर्थन में जो अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं वह अखण्डनीय हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद वादी के पक्ष में सकारात्मक रूप से निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वाद एक पक्षीय रूप से सव्यय आज्ञाप्त किया जाता है। प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाता है कि विवादित भूमि गाटा संख्या-१५६८क रकबा ०.६८३हे० तथा गाटा संख्या-१५६८क रकबा ०.६३५१हे० स्थित ग्राम माझा बरेहटा, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जिला-फैजाबाद, पर वादी के शान्तिपूर्ण कब्जा व दखल में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश का प्रभाव गाटा संख्या-१५६८क के अन्य सहखातेदार व गाटा संख्या-१५६८क की सीमांकन की कार्यवाही पर प्रभावी नहीं होगा। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक-०५.१०.२०१९

(अभिनव तिवारी)
सिविल जज(जू०डि०)सदर,
फैजाबाद।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षारित एवं दिनांकित कर उद्घघोषित किया गया।

दिनांक-०५.१०.२०१९

(अभिनव तिवारी)
सिविल जज(जू०डि०)सदर,
फैजाबाद।